पत्रांक –22/अनु०– 05 /2012सा०प्र० 16973/

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार, भा0प्र0से0,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

सभी विभाग।
सभी विभागाध्यक्ष।
सभी प्रमंडलीय आयुक्त।
सभी जिला पदाधिकारी।

पटना–15, दिनांक 10.12.2014

विषयः– सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक की विवाहित पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों की श्रेणी में रखने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में निदेशानुसार कहना है कि इस विभाग के ज्ञापांक– 13293 दिनांक– 05.10.1991 की कंडिका (1)(ग) के तहत अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रितों को परिभाषित किया गया है जिसमें मृत सरकारी सेवक की पत्नी, पुत्र, अविवाहिता पुत्री एवं पुत्र की विधवा पत्नी को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना गया है। इसके पश्चात् पत्रांक– 512 दिनांक– 12.05.2005 के तहत कुछ शर्त्तों के अधीन दत्तक पुत्र एवं दत्तक अविवाहित पुत्री को आश्रित की श्रेणी में रखने का निर्णय लेते हुए ज्ञापांक– 13293 दिनांक– 05.10.1991 को इस हद तक संशोधित किया गया है। पत्रांक– 7146 दिनांक– 31.10.08 के तहत यह निर्णय भी संसूचित है कि अविवाहित मृत सरकारी सेवक के मामले में उसकी विधवा माँ, छोटा भाई एवं अविवाहिता छोटी बहन को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु आश्रित माना जायेगा। तदुपरान्त पत्रांक– 1699 दिनांक– 05.05.2010 द्वारा इस शर्त्त के साथ मृत सरकारी सेवक की तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना गया है कि तलाक/विवाह का विघटन सक्षम न्यायालय द्वारा स्वीकृत हो और मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी के अतिरिक्त वह एकमात्र आश्रित हो।

2. विचार के क्रम में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति से संबंधित ऐसे मामले भी दृष्टिगत हुए हैं जहाँ मृत सरकारी सेवक के परिवार में विधवा पत्नी अथवा विधुर पति के अतिरिक्त कोई नहीं होते हैं तथा संतान के रूप में मात्र पुत्री होने के कारण उसकी शादी हो चुकी होती है। ऐसी परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक के आश्रित की देखभाल करने की जिम्मेदारी शादीशुदा पुत्री पर आ जाती है, परन्तु शादीशुदा पुत्री के नियोजन में नहीं रहने के कारण मृत सरकारी सेवक के आश्रित के सामने विषम आर्थिक स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है क्योंकि शादीशुदा पुत्री को अनुकम्पा नियुक्ति हेतु निर्गत परिपत्रों के तहत आश्रितों की श्रेणी में नहीं रखा गया है जबकि अनुकम्पा नियुक्ति की नीति का मूल उद्देश्य ही सरकारी सेवक की सेवाकाल में हुई असामयिक मृत्यु के कारण उसके आश्रित/परिवार के समक्ष उत्पन्न भरण–पोषण की समस्या का निराकरण करना तथा तत्समय उत्पन्न आर्थिक तंगी से बचाना है। अतएव शादीशुदा पुत्री को भी सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक का आश्रित माने जाने का विषय सरकार के विचाराधीन था। इस संबंध में विधिक परामर्श भी प्राप्त किया गया जिसमें उपरोक्त वर्णित परिस्थिति में मृत सरकारी सेवक की विवाहित पुत्री को भी आश्रितों की श्रेणी में रखना अपेक्षित बताया गया है।

3. अतः उपर्युक्त के परिप्रेक्ष्य में विधिक परामर्श के आलोक में सम्यकरूपेण विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि मृत सरकारी सेवक की संतान के रूप में मात्र पुत्रियों के होने की स्थिति में विवाहिता पुत्री को भी अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजनार्थ आश्रित माना जायेगा, बशर्ते मृत सरकारी सेवक के परिवार में उनकी पत्नी अथवा पति के अतिरिक्त अन्य कोई आश्रित न हो।

4. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक– 13293 दिनांक–05.10.1991 की कंडिका–1(ग) को उपर्युक्त हद तक तदनुसार संशोधित समझा जाय।

विश्वासभाजन

(डॉ0 धर्मेन्द्र सिंह गंगवार)
सरकार के प्रधान सचिव

Pandey
10/12/14